



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 30035 /2025

राहुल

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : आनंद त्रिपाठी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल पांडे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारंभ में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बार में यह बयान दिया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इसलिए वह इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और इसे वापस लेना चाहता है।
3. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त प्रार्थना पर आपत्ति है।
4. दिए गए बयान के मद्देनजर, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

फरवरी 16, 2026

जफर

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”